भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1480
जिसका उत्तर मंगलवार, 08 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

सीएनजी वाहनों में विस्फोट

1480. श्री डी० एस० राठौड़:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में सीएनजी वाहनों के फटने/विस्फोट के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा सीएनजी किट की प्रत्येक तीन वर्षों में जांच हेतु क्या कानून बनाया गया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) और (ख): महोदया, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता हैं। तथापि, सीएनजी वाहनों के विस्फोट से बचने के लिए, सभी सीएनजी वाहनों को प्रत्येक 3 वर्षों में सीएनजी रिसाव परीक्षण से गुजरना होता है।

(ग): उच्च दाब वाले गैस सिलेंडरों की आवधिक जांच और परीक्षण, गैस सिलेंडर नियम- 2004, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 115बी और ऑटोमोटिव मानक एआईएस24/एआईएस028 और एआईएस037 के अंतर्गत की जाती है।

******